

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरु (राज.)
राष्ट्रीय लोक अदालत स्थान सुजानगढ़ दिनांक 13.07.2024

राजस्व प्रार्थना-पत्र संख्या : 62 / 2023

निर्णय दिनांक : 13.07.2024

जीसीएमएस संख्या- 2023 / 115

दायर दिनांक - 04.07.2024

हंसराज पुत्र करीम जाति नीलगर निवासी सुजानगढ़ तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु

.....प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ़ जिला चूरु

.....अप्रार्थी

प्रार्थना-पत्र धारा 136 एल आर एक्ट

उपस्थित :-

1. प्रार्थी स्वयं उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 02 परोकार राज उपस्थित।


निर्णय

संक्षिप्त में प्रार्थना-पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी निवासी सुजानगढ़ तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु का निवासी है जिनके रोही नीमड़ी बिदावतान तहसील सुजानगढ़ में खेत खाता संख्या 87 के खसरा संख्या 109, 110, 122 व 123 खातेदारी में दर्ज स्थित है। प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में सराज पुत्र करीमबक्श दर्ज है जबकि प्रार्थी के अन्य दस्तावेज यथा आधार कार्ड, आयकर विभाग के पहचान प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, परिवार राशन कार्ड आदि में हंसराज पुत्र करीम दर्ज है।


प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में गलत होने के कारण प्रार्थी को सरकारी लाभांश आदि प्राप्त करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जिसके कारण प्रार्थी की खातेदारी भूमि में प्रार्थी का नाम दुरुस्त करवाना प्रार्थी के लिए आवश्यक है।

प्रार्थी का खेत रोही नीमड़ी बिदावतान तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु में होने के कारण प्रार्थना पत्र का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार श्रीमान् को प्राप्त है।

प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार सुजानगढ़ से प्रकरण में रिपोर्ट ली गई। जिस पर तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के दस्तावेजों में नाम हंसराज पुत्र करीम दर्ज है। सराज व


सदस्य
लोक अदालत
सुजानगढ़


अध्यक्ष
लोक अदालत
सुजानगढ़


सदस्य
लोक अदालत
सुजानगढ़


हंसराज दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है अतः प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में हंसराज पुत्र करीम किया जाना उचित है।


पत्रावली तथा रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज आधार कार्ड, आयकर विभाग के पहचान प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, परिवार राशन कार्ड आदि दस्तावेजात में भी प्रार्थी का नाम हंसराज पुत्र करीम अंकित है। अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ तथा संलग्न दस्तावेजात के अनुसार प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने के कारण स्वीकार किया जाता है।


आदेश

प्रार्थना-पत्र प्रार्थी राष्ट्रीय लोक अदालत में स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि वाके रोही नीमड़ी बिदावतान खेत खाता खाता संख्या 87 के खसरा संख्या 109 रकबा 2.3266 हैक्टेयर, खसरा संख्या 110 रकबा 3.8820 हैक्टेयर, खसरा संख्या 122 रकबा 1.3277 हैक्टेयर व खसरा संख्या 123 रकबा 2.2761 हैक्टेयर तहसील सुजानगढ़ में सदरज खातेदार सराज पुत्र करीमबक्श के स्थान पर हंसराज पुत्र करीम दर्ज किया जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 13.07.2024 को टंकित करवाया जाकर राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनाया गया।


न्यायिक अधिकारी
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ़
लोक अदालत
सुजानगढ़


पैनल अधिवक्ता (सदस्य)
राष्ट्रीय लोक अदालत सदस्य
सुजानगढ़ लोक अदालत
सुजानगढ़


रेवन्यू अधिकारी (सदस्य)
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ़ सदस्य
लोक अदालत
सुजानगढ़